रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2016/फाल्गुन 19, 1937
No. 85] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2016/ PHALGUNA 19, 1937

गृह मंत्रालय

(भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2016

सं. 13/12/2012-एलपीएआई.—भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 10 के साथ पठित धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—(1) ये विनियम, प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों चाहे वे उसके सचिवालय या किसी एकीकृत जांच चौकी में नियुक्त या कार्य करते हो, को लागू होगें।

(2) ये विनियम ऐसे व्यक्तियों जो प्राधिकरण द्वारा आउटसोर्स से संबंध है या संविदा पर नियोजित है, को लागू नहीं होगें।

3. **परिभाषाएं.**- (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं.-

(क) "अधिनियम" से भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, 2010 (2010 का 31) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" अधिनियम की धारा 3 के खंड (क) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "अनुशासनिक प्राधिकारी" से अभिप्रेत है.-

(i) छः हजार और छः सौ रुपये या अधिक के ग्रेड वेतन से अनुषंग पद के संबंध में प्राधिकरण ;

(ii) अन्य किसी पद के संबंध में, अध्यक्ष ;

(ड.) "कर्मचारी" में प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी जो प्राधिकरण में पूर्णकालिक नियोजन में है सम्मिलित है ;

(च) "सदस्य" से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है ;

(छ) "चयन समिति" से विनियम 11 के अधीन गठित चयन समिति अभिप्रेत है ;

(ज) "एकीकृत जांच चौकी" से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 2 के खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई भूमि पतन अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किंतु इस अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके इस अधिनियम में है ।

4. **पदों की प्रकृति और प्रवर्ग.-** प्राधिकरण के अधीन पदों की प्रकृति और प्रवर्ग, उनकी स्वीकृत संख्या और उससे संलग्न वेतन इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगी ।

5. **नियुक्ति की रीति.-** प्राधिकरण के अधीन स्वीकृत पदों पर सभी नियुक्तियां प्रतिनियुक्ति आधार पर या अल्पकालिक संविदा के माध्यम से की जाएगी ।

परंतु दस हजार रुपये ग्रेड वेतन वाले पदों के संबंध में नियुक्ति मंत्रीमंडल की नियुक्ति समिति का पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात् की जाएगी ।

6. **पदों का आबंटन –** प्राधिकरण के विभिन्न अधिकारियों के बीच स्वीकृत पदों का पारस्परिक आबंटन, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथा विनिश्चित होगा ।

7. **पद को रिक्त रखने की शक्ति –** इन विनियमों में की गई किसी बात का वह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि प्राधिकरण से हर समय पदों के सभी प्रवर्गों पर कर्मचारियों की नियोजित करने की अपेक्षा की जाएगी ।

8. **नियुक्ति के लिए मानदंड –** भर्ती की पद्धति चाहे प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा द्वारा हो प्राधिकरण द्वारा अपेक्षाओं के आधार पर समय-समय पर अवधारित की जाएगी ।

9. **रिक्तियों की घोषणा –** प्राधिकरण ऐसी रीति में, जैसा वह उचित समझे भरी जाने वाली रिक्तियों की सख्यां की घोषणा करेगा और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के सभी विभागों और संगठनों को रिक्तियों के परिचालन द्वारा प्राधिकरण के अधीन विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा और ऐसे विज्ञापन के माध्यम से रिक्तियों का प्रकाशन करेगा जैसा वह उचित समझे ।

10. **आवेदन के लिए प्ररूपों का निर्धारण और शर्तें** – प्राधिकरण, जैसा वह उचित समझे, प्ररूप जिसमें आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज और प्रमाणपत्र, प्रस्तुत करने का ढंग, आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित अधिकारी विहित करेगा ।

11. **चयन समिति का गठन.-** (1) अभ्यर्थियों का चुनाव करने और प्राधिकरण की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने हेतु एक चयन समिति होगी ।

(2) छः हजार और छः सौ रुपये या अधिक ग्रेड वेतन वाले पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिश करने हेतु चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे –

(क) अध्यक्ष - अध्यक्ष

(ख) अधिनियम की धारा (3) की उप-धारा (3) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त एक सदस्य – सदस्य

(ग) गृह मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार की रैंक के अन्यून, एक प्रतिनिधि

(घ) प्राधिकरण का सचिव – सदस्य, संयोजक ।

(3) उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट से भिन्न पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिश करने हेतु चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे -

(क) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त एक सदस्य – अध्यक्ष

(ख) प्राधिकरण का सचिव – सदस्य

(ग) गृह मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार की रैंक के अन्यून, एक प्रतिनिधि

(घ) प्राधिकरण का निदेशक – सदस्य – संयोजक

12. **वेतन, भत्तें और सेवा की शर्तें** – (1) स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, अनुसूची के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट होगें और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित मार्गदर्शक सिधान्तों के अनुसार नियत की जाएगी।

(2) प्राधिकरण के कर्मचारियों की भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन, सेवानिवृति लाभ, चिकित्सा सुविधाओं के मामले में सेवा की शर्तें और सेवा की अन्य शर्तें इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

13. **कर्मचारियों की तैनाती** – कर्मचारी की तैनाती किसी भी समय प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित होगी और कोई कर्मचारी ऐसे वेतनमान या वेतन अथवा ग्रेड वेतन जो ऐसे व्यक्ति की प्रारम्भिक नियुक्ति से कम हो वाले पद पर तैनात नहीं किया जाएगा।

(2) एक कर्मचारी एक से अधिक पदों का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण कर सकेगा जिसके लिए उसे इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के नियमों का विनियमों के अधीन अन्यथा यथा लागू के सिवाय कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक या भत्ते संदत्त नहीं किए जाएंगे।

14. **आचरण और अनुशासन** – सभी कर्मचारी समय समय पर यथा संशोधित साधारण सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और साधारण सिविल सेवा (वर्गीकरण, आचरण और अपील) नियम, 1965 और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों से विनियमित होगे।

15. **प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के लिए विशेष उपबंध.-** राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रमों से प्राधिकरण के अधीन किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए कर्मचारी

(क) वेतन और उस पर मंहगाई भत्ता, और

(ख) छुट्टी, भविष्य निधि, पेंशन और चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में या तो ऐसे नियमों या विनियमों जे उस पद पर लागू होतें है जिनके लिए उसे नियुक्त किया गया है या ऐसे नियमों और विनियमों जो उन पर ऐसी राज्य सरकार या उपक्रम पर लागु होते है का चयन कर सकेंगे।

16. **सेवा की अन्य शर्तें** – ऐसे मामले जिसमें इन विनियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नही किया गया है के संबंध में कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तें वह होंगी जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन आरहित करने वाले अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुज्ञेय है।

17. **शिथिल करने की शक्ति** .- प्राधिकरण, लोक हित में तथा कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इन विनियमों के किन्ही प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा।

18. **निर्वचन.-** इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे अवधारित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय उस पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अनुसूची

(विनियम 4 और 12(1) देखें)

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के

अधीन पद उनकी संख्या और उससे संलग्न वेतन

भाग – 1 भूमि पत्तन प्राधिकरण सचिवालय

क्रम सं.	पद नाम	वेतन बैंड, वेतनमान और ग्रेड वेतन (रु.)	पदों की संख्या (परिवर्तन के अध्यधीन रहते हुए)
1.	सचिव	वेतन बैंड-4 37400-67000 + 10000	1
2.	निदेशक (तकनीकी)	वेतन बैंड-4 37400-67000 + 8700	1
3.	निदेशक/उप सचिव	वेतन बैंड-4 37400-67000 + 8700 वेतन बैंड- 3 15600-39100 + 7600	2
4.	अवर सचिव	वेतन बैंड- 3 15600-39100 + 6600	3
5	कार्यकारी इंजीनियर	वेतन बैंड- 3 15600-39100 + 6600	1
6	अनुभाग अधिकारी	वेतन बैंड- 2 9300-34800 + 4600	3
7	सहायक इंजीनियर (सिविल और इलैक्ट्रीकल)	वेतन बैंड- 2 9300-34800 + 4600	2
8	निजी सचिव	वेतन बैंड- 2 9300-34800 + 4600	4
9	सहायक	वेतन बैंड- 2 9300-34800 + 4200	6
10	कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल और इलैक्ट्रीकल)	वेतन बैंड- 2 9300-34800 + 4200	2
11	ज्येष्ठ लेखाकार	वेतन बैंड- 2 9300-34800 + 4200	1
12	व्यैक्तिक सहायक	वेतन बैंड- 2 5200-20200 + 4200	4
13	लेखाकार	वेतन बैंड- 2 9300-34800 + 2800	1
14	आशुलिपिक श्रेणी घ	वेतन बैंड- 1 5200-20200 + 2400	3
15	रोकड़िया	वेतन बैंड- 1 5200-20200 + 1900	1
	कुल पद		**35**

भाग – 2 एकीकृत जांच चौकी

क्रम सं.	पद नाम	वेतन बैंड, वेतन मान और ग्रेड वेतन (रु)	पदों की संख्या (परिवर्तन के अध्यधीन रहते हुए)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रबंधक	वेतन बैंड-3 15600-39100 + 6600	7
2.	सहायक	वेतन बैंड-2 9300-34800 + 4200	10
3.	आशुलिपिक श्रेणी घ	वेतन बैंड-1 5200-20200 + 2400	7
	कुल पद		24

युद्धवीर सिंह शेहरावत, अध्यक्ष, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

[विज्ञापन III/4/असा./378(391)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2016

F. No. 13/12/2012-LPAI.—In exercise of the powers conferred by clause (*b*) of sub-section (*2*) of section 35 read with section 10 of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (*31 of 2010*), the Land Ports Authority of India with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.—(*1*) These regulations may be called the Land Ports Authority of India (Conditions of Service of Officers and other Employees) Regulations, 2016.

(*2*) These shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Application.—(*1*) These regulations shall apply to all the employees of the Authority whether posted or working at its Secretariat or any integrated check post.

(*2*) These regulations shall not apply to a person attached to, outsourced or employed on contract by, the Authority.

3. Definitions.—(*1*) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Act" means the Land Ports Authority of India Act, 2010 (*31 of 2010*);

(*b*) "Authority" means the Land Ports Authority of India constituted under section 3 of the Act;

(*c*) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority appointed under clause (*a*) of section 3 of the Act;

(*d*) "disciplinary authority" means —

(*i*) in relation to a postbearing the grade pay of six thousand and six hundred rupees or above, the Authority;

(*ii*) in relation to any other post, theChairperson;

(*e*) "employees"includes an officer and other employees of the Authority in the whole time employment of the Authority;

(*f*) "Member" means a member of the Authority;

(*g*)"Selection Committee" means a selection committee constituted under regulation 11;

(*h*) "integrated check post" means any land port specified by the Central Government under clause (*d*) of section 2 of the Act.

(*2*) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them under the Act.

4. Nature and categories of posts.—The nature and categories of the posts under the Authority, their sanctioned strengths and pay attached thereto shall be as specified in the Schedule appended to these regulations.

5. Mode of appointment.— (*1*) All appointment against the sanctioned posts under the Authority shall be made through deputation basis or short term contract:

Provided that in respect of a post carrying the grade pay of ten thousand rupees, the appointment shall be made after taking the prior approval of the Appointment Committee of the Cabinet.

6. Allocation of posts.—The inter-se allocation of the sanctioned posts amongst different offices of the Authority shall be as decided by the Authority from time to time.

7. Power to keep a post vacant.—Nothing in these regulations shall be construed as requiring the Authority to have at all times, employees serving in all the categories of posts.

8. Criteria for appointment.— The method of recruitment whether by deputation or short term contract shall be determined by the Authority from time to time based on the requirements.

9. Announcement of vacancies.—The Authority shall announce in such manner, as it deems fit, the number of vacancies to be filled and invite applications for appointment in the various posts under the Authority by circulating the vacancies to all departments and organisations of the Central Government and the State Governments and publish the vacancies through such advertisement, as it deems fit.

10. Prescription of forms and conditions for application.—The Authority may prescribe, as it deems fit, the form in which application shall be submitted, the documents and certificate to be accompanied with the application, the mode of submission, the last date for receipt of applications and the designated officer for submission of applications.

11. Constitution of Selection Committee.—(*1*) There shall be a Selection Committee for short listing the candidates and making recommendations for appointment to the Authority.

(*2*) The Selection Committee for making recommendation for appointment to a post carrying the grade pay of six thousand and six hundred rupees or more, shall consist of—

(*a*) the Chairperson— Chairman;

(*b*) one Member appointed under clause (*b*) of sub-section (*3*) of section 3 of the Act— Member;

(*c*) one representative of the Ministry of Home Affairs, not below the rank of the Joint Secretary to the Government of India— Member;

(*d*) the Secretary of the Authority— Member-Convener.

(*3*) The Selection Committee for making recommendation for appointment to a post other than those referred to in sub-regulation (*2*), shall consist of—

(*a*) one Member appointed under clause (*b*) of sub-section (*3*) of section 3 of the Act— Chairman;

(*b*) the Secretary of the Authority — Member;

(*c*) one representative of the Ministry of Home Affairs, not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India— Member;

(*d*) the Director of the Authority— Member-Convener.

12. Pay, allowances and conditions of service.—(*1*) The pay of officers and other employee of the Authority specified under column (2) shall be as specified in the corresponding entries under column (4) of the Schedule and shall be fixed in accordance with such guidelines as are laid down by the Central Government in this regard.

(*2*) The conditions of service of the employees of the Authority in the matters of allowances, leave, provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are prescribed by the Central Government in this regard.

13. Posting of employees.— (1) The posting of an employee at any time shall be as determined by the Authority and no employee shall be posted to a post carrying the scale or pay or grade pay lower than to one such employee is initially appointed.

(2) An employee may hold additional charge of more than one post for which no extra remuneration or allowances shall be paid except as otherwise applicable under the rules or regulations of the Central Government in this regard.

14. Conduct and discipline.— All employees shall be regulated in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and the Central Civil Services (Classification, Conduct and Appeal) Rules, 1965, as amended from time to time, and the instructions issued by Central Government from time to time in this regard.

15. Special provision for employees on deputation.—An employee appointed on deputation to a post under the Authority from any State Government or Undertaking of the Central Government or a State Government shall have the option to either opt for the rules and regulations applicable to the post for which he is appointed or to the rules and regulations applicable to him under such State Government or Undertaking, in respect of —

(*a*) the pay and dearness allowance thereon; and

(*b*) the leave, provident fund, pension and medical facilities.

16. Other conditions of service.—Other conditions of service of the employees with respect to a matter for which no express provision has been made in these regulations, shall be such as are admissible to the officers and other employees of the Central Government drawing an equivalent pay.

17. Power of relax.—The Authority may in the public interest and after recording reasons in writing and with the prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these regulations.

18. Interpretation.—If any question arises as regard to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Central Government for determination and the decision of the Central Government thereon shall be final and binding.

SCHEDULE

[*See regulations 4 and 12(1)*]

POSTS UNDER THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA, THEIR NUMBER AND PAY ATTACHED THERETO

PART I – LAND PORTS AUTHORITY SECRETARIAT

Sl. No.	Name of the post	Pay band, pay scale and grade pay (Rs.)	Number of posts (subject to change)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Secretary	PB-4 37400-67000 plus 10000	1
2.	Director (Technical)	PB-4 37400-67000 plus 8700	1
3.	Director/ Deputy Secretary	PB-4 37400-67000 plus 8700/ PB-3 15600-39100 plus 7600	2
4.	Under Secretary	PB-3 15600-39100 Plus 6600	3
5.	Executive Engineer	PB-3 15600-39100 plus 6600	1

6.	Section Officer	PB-2 9300-34800 plus 4600	3
7.	Assistant Engineer (Civil and Electrical)	PB-2 9300-34800 plus 4600	2
8.	Private Secretary	PB-2 9300-34800 plus 4600	4
9.	Assistant	PB-2 9300-34800 plus 4200	6
10.	Junior Engineer (Civil and Electrical)	PB-2 9300-34800 plus 4200	2
11.	Senior Accountant	PB-2 9300-34800 plus 4200	1
12.	Personal Assistant	PB-2 5200-20200 plus 4200	4
13.	Accountant	PB-2 9300-34800 plus 2800	1
14.	Stenographer Grade D	PB-1 5200-20200 plus 2400	3
15.	Cashier	PB-1 5200-20200 plus1900	1
	Total posts		35

PART II – INTEGRATED CHECK POSTS

Sl. No.	**Name of the post**	**Pay band, pay scale and grade pay (Rs.)**	**Number of posts (subject to change)**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Manager	PB-3 15600-39100 plus 6600	7
2.	Assistant	PB-2 9300-34800 plus 4200	10
3.	Stenographer Grade D	PB-1 5200-20200 Plus 2400	7
	Total posts		24

YUDHVIR SINGH SHAHRAWAT, Chairman of the Land Ports Authority of India

[ADVT III/4/Exty./378 (391)]